

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव

वाद पेश हुआ। अभियुक्त ने जुर्म स्वीकार किया। अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड जमा किया गया। वाद की कार्यवाही समाप्त की गयी।

सी.जे.एम., उन्नाव।